राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, राजस्थान

क्रमांकः एफ.वी.5(1) (समेकित) स्था/अ/2021/ 2938 दिनांकः 08/09/2021

विज्ञप्ति

पशुपालन विभाग के अधीन पशु चिकित्सा अधिकारियों के 300 पदों हेतु आवश्यक अस्थाई आधार (**Urgent Temporary Basis**) पर पशु चिकित्सा अधिकारियों को तीन माह के लिए, राशि रूपये 39,300/—(रूपये उनतालीस हजार तीन सौ) प्रतिमाह के नियत पारिश्रमिक पर, पूर्णतः अस्थाई रूप से जिला बांसवाडा, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ, पाली, उदयपुर, झालावाड, भीलवाडा, जैसलमेर, चित्तौडगढ, बाडमेर, सिरोही, नागौर, अजमेर, जोधपुर एवं धौलपुर में लिया जायेगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप, जिलों में नियुक्ति हेतु कुल/आरक्षित पदों की संख्या, आवश्यक शर्तें, दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप आदि विभाग की वेबसाइट **www.animalhusbandry.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है। इस हेतु दिनांक 28.9.2021 को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र मय मूल दस्तावेज संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

संयुक्त शासन सचिव

District wise Number of seats (with reservation) for UTB SELECTION of Veterinary Officers

Sr. No.	Districts	Total allotment of seats	General				SC				ST				BC				MBC				EWS				Grand Total
			Male	Women	Widow	Divorcee	Male	Women	Widow	Divorcee	Male	Women	Widow	Divorcee	Male	Women	Widow	Divorcee	Male	Women	Widow	Divorcee	Male	Women	Widow	Divorcee	
1	Banswara	29	6	3	1	0	4	1	0	0	2	1	0	0	4	2	0	0	1	0	0	0	2	2	0	0	29
2	Rajsamand	20	5	2	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	20
3	Dungarpur	23	6	2	0	0	3	1	0	0	2	1	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	23
4	Pratapgarh	11	3	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	11
5	Pali	29	7	3	1	0	4	1	0	0	2	2	0	0	4	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	29
6	Udaipur	31	8	3	0	1	3	0	1	0	3	1	0	0	5	2	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	31
7	Jhalawar	12	3	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	12
8	Bhilwara	26	7	2	0	0	3	1	0	0	2	0	0	0	2	2	1	0	1	1	0	0	2	1	1	0	26
9	Jaisalmer	12	3	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	12
10	Chittorgarh	17	4	2	0	0	2	1	0	0	1	1	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	17
11	Barmer	25	6	2	1	0	3	1	0	0	2	0	0	0	4	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	25
12	Sirohi	10	3	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	10
13	Nagaur	13	3	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	13
14	Ajmer	17	4	2	0	0	2	1	0	0	1	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	17
15	Jodhpur	19	5	2	0	0	2	1	0	0	2	1	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	19
16	Dholpur	6	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	Total	300	75	29	3	1	34	13	1	0	25	10	1	0	44	17	2	0	11	4	0	0	21	8	1	0	300

40

DFA

आवश्यक अस्थाई आधार (**Urgent Temporary Basis**) पर पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें

1. प्रार्थी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.वी.एससी. एण्ड ए.एच. स्नातक होना आवश्यक होगा।
2. प्रार्थी का राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद में दिनांक 28.09.2021 से पूर्व का स्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/आर्थिक कमजोर वर्ग /महिलाओं (विधवा एवं परित्यकता महिला सहित) को नियमानुसार आरक्षण देय होगा। जिसका जिलेवार विवरण विभाग की वेबसाईट www.animalhusbandry.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
4. आवेदक 01.06.2002 को या इसके पश्चात तीसरी संतान होने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।
5. दिनांक 28.09.2021 को न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/महिलाओं (विधवा एवं परित्यक्ता महिला सहित) को नियमानुसार आयु सीमा में छूट देय होगी।
6. आवेदन पत्र के साथ प्रार्थी को सम्बन्धित शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं अंकतालिका (10वीं, 12वीं, तथा स्नातक)/जाति प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र/ विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र/राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद का स्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र (दिनांक 28.9.2021 से पूर्व का) की सत्यापित प्रतियां एवं पृथक राजपत्रित अधिकारियों से लिये गये दो चरित्र प्रमाण पत्र, जो 6 माह से पूर्व के नहीं हों, मूल रूप में संलग्न करना आवश्यक है। मूल आवेदन पत्र के साथ मूल दस्तावेज एवं 2 अतिरिक्त सेट (फोटो प्रति) जमा कराना आवश्यक होगा। जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त की जा सकेगी।
7. चयनित अभ्यर्थियों को नियत पारिश्रमिक के रूप में रूपये 39,300/– प्रतिमाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का भत्ता/वार्षिक वेतन वृद्वि/वरिष्ठता आदि का लाभ देय नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी को राजस्थान में आवेदित जिले के किसी भी स्थान पर पदस्थापित किया जा सकेगा। इन्हें मूल पदस्थापित स्थान से अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।
9. चयनित पशु चिकित्सा अधिकारी को किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।
10. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.10.2013 के अनुसरण में अभ्यर्थी द्वारा धूम्रपान एवं गुटका सेवन नही करने का वचनबंध (Undertaking) दी जावेगी।
11. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की स्थिति में आवेदक से विवाह पंजीकरण की सूचना /दहेज नहीं लिये जाने का शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।
12. यह नियुक्ति आवश्यक अस्थाई आधार की होने के कारण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।
13. प्रार्थी को निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (राशि रूपये 100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प एवं नोटरी द्वारा प्रमाणित)
14. चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में पद स्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति देनी होगी। अन्यथा उसका चयन/नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त मानते हुये प्रतिक्षा सूची से अन्य योग्य अभ्यर्थी को नियुक्ति दे दी जावेगी। जिस पर किसी भी प्रकार का आक्षेप मान्य नही होगा।

DFA

....

आवेदन पत्र

(पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियत पारिश्रमिक के आधार पर नियुक्ति हेतु)

1. आवेदित जिले का नाम..
2. आवेदित श्रेणी (General/SC /ST/BC /MBC/ EWS .... महिला /विधवा/ परित्यक्ता). ....
3. आवेदक का नाम (हिन्दी में) ....
   (अंग्रेजी में) ....
4. पिता /पति का नाम (हिन्दी में)..
   (अंग्रेजी में)..
5. जन्म दिनांक .... दिनांक 28.9.2021 को आयु ....
6. लिंग (महिला/ पुरूष) ....
7. जाति .... संवर्ग (General/SC /ST/BC /MBC/ EWS /etc)............................
8. शैक्षणिक विवरण

कम सं.	कक्षा	बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	12th					
2	BVSC& AH					

9. राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद में स्थाई पंजीकरण संख्या..............दिनांक..................
10. गृह जिला ....
11. स्थायी निवास का पता ....
12. पत्र व्यवहार का पता मय मोबाईल नंबर/ई–मेल एड्रेस..
....
....
13. 01.06.2002 को जीवित संतान की संख्या..
14. विवाह पंजीयन की तिथि एवं पंजीयन कार्यालय का विवरण..

मैं यह निष्ठा पूर्वक प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाई गई समस्त सूचनाऐं पूर्णतया सत्य है एवं मैं किसी दण्डनीय अपराध अथवा अनैतिक कृत्यों के लिए आज दिनांक तक कभी भी दण्डित नहीं हुआ हूँ। मैं अपना आवेदन जिला .... में पशु चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद के लिए नियत पारिश्रमिक के आधार पर अस्थायी नियुक्ति हेतु कर रहा हूँ। निर्धारित शपथ–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं।

संलग्न :– कुल पृष्ठ ....

दिनांक..............

स्थान................

DFA

आवेदक के हस्ताक्षर
एवं प्रार्थी का नाम

(Affidavit on Rs 100/- Non Judicial Stamp (Notary attested) Regarding – "No claim for permanent employment")

शपथ पत्र

मैं.............................. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... आयु.........जाति............. निवासी.. जिला.................... शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनायें सत्य हैं। शैक्षणिक योग्यता विधि मान्य संस्था से अर्जित किये गये है।
2. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई एवं नियत पारिश्रमिक के आधार पर है। भविष्य में इस नियुक्ति के अधीन, मैं राज्य सरकार से नियमित नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार से हकदार नहीं रहूंगा/रहूंगी ।
3. मैं भविष्य में इस नियुक्ति के संदर्भ में विभाग में नियमित नियुक्त के लिये किसी भी न्यायालय में वाद दायर नही करूंगा /करूंगी।
4. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.10.2013 के अनुसरण में मैं धूम्रपान एवं गुटका सेवन नही करने का वचन देता हूँ।
5. कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2006 के अनुसार मैं विवाहित हूँ, मैंने अपना विवाह पंजीकरण करा लिया हैं तथा विवाह में मैंने कोई दहेज नहीं लिया है।
6. मैं भविष्य में नियुक्ति के उपरांत किसी भी अन्य स्थान के लिये स्थानांतरण हेतु हकदार नही रहूंगा/रहूंगी ,ना ही स्थानांतरण के लिए पात्र रहूंगा/रहूंगी ,ना ही आवेदन करूंगा/करूंगी ।
7. जिस स्थान के लिए मेरा चयन किया जायेगा, मैं उस स्थान के मुख्यालय पर निवास करूंगा/करूंगी।

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं.............................. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....सत्यापित करता/करती हूँ कि उपरोक्त वर्णित पैरा 01 लगायत 07 मेरी निजी जानकारी में सही एवं सत्य है, इसमें ना ही कुछ गलत है और ना ही कुछ छिपाया गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

DFA

हस्ताक्षर सत्यापनकर्ता

मेरिट सूची तैयार करने का आधार

1. मेरिट सूची तैयार करने के लिये अभ्यर्थी के 12वीं तथा स्नातक (BVSc & AH) के अंकों के प्रतिशत को जोडकर उसका आधा करने के उपरांत ही मेरिट तैयार की जावे।
2. मेरिट में समान प्रतिशत होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी के स्नातक (BVSc & AH) में अधिक प्रतिशत हो, उसे मेरिट में ऊपर रखा जावे।
3. चयन के समय उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों में से, जिलों को आवंटित सीटों के अनुसार आरक्षण को ध्यान में रखते हुये मेरिट सूची बनवाई जावे।
4. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरा जावे।
5. जिलों को आवंटित सीटों के अतिरिक्त अभ्यर्थियों की पृथक से मेरिट सूची तैयार कर मय दस्तावेज निदेशालय पशुपालन को मुख्य चयन सूची के साथ मय चयन कार्यवाही विवरण भिजवाई जावे।
6. समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों एवं चयन कार्यवाही विवरण का एक सेट मय मूल दस्तावेज संबंधित संयुक्त निदेशक कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। मूल दस्तावेज चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति उपरांत कार्यग्रहण करने के पश्चात अभ्यर्थियों से प्राप्ती रसीद प्राप्त करते हुये संबंधित अभ्यर्थियों को लौटा दिये जावें।
7. जिन अभ्यर्थियों का चयन नही होगा उन्हे समस्त दस्तावेज नियुक्ति सूची जारी होने के एक माह पश्चात संबंधित संयुक्त निदेशक कार्यालय से अभ्यर्थियों से प्राप्ती रसीद प्राप्त करते हुये संबंधित अभ्यर्थियों को लौटा दिये जावें।

DFA